(180)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1961–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–6–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 09/अपील/2013–14.

.....

1–वनमाला पुत्री बाबा साहिब पत्नी श्री दत्ताजीराव शिंदे
निवासी बाई साहब की परेड, लश्कर ग्वालियर
2–विजया जामदार पुत्री बाबा साहिब पत्नी स्व.श्री भाउ साहब जामदार
निवासी जामदार का बाडा नारंगीबाई मंदिर के पास माधवगंज
लश्कर ग्वालियर
3–पुष्पलता शिंदे पुत्र बाबा साहिब पत्नी स्व0श्री ज्ञानोजीराव शिंदे
निवासी शिंदे की गोठ छत्रीमंडी लश्कर ग्वालियर
4–अजंली सुर्वे पुत्री बाबा साहिब पत्नी श्री सुरेश सुर्वे
निवासी एकता कॉलोनी लक्कडखाना लश्कर ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–वीरेन्द्र सिंह यादव पुत्र रामचरन यादव
2–श्रीमती लीलादेवी पत्नी आशाराम निवासी ग्राम मोह
जिला भिण्ड म0प्र0
3–किशोरी पुत्र चन्दनसिंह
निवासी ग्राम करगंवा खुर्द तहसील व जिला ग्वालियर
4–दीपक कुमार पुत्र श्री जगदीश यादव
निवासी पवनसुत कॉलोनी मुरार ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री सी0एम0गुप्ता, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री एन0डी0शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/10/17 ~~को पारित~~)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–06–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली मुरार के प्रकरण कमांक 7/11–12/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 28–11–12 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 2–12–2013 को अवधि बाह्य अपील प्रस्तुत की गई और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 7–6–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक वर्ष अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान के बिन्दु पर सकारण आदेश पारित नहीं करते हुये अत्यंत संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से जबाव प्रस्तुत कर अनेक न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर विचार नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण को तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः उनके द्वारा जानकारी की दिनांक से समय सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अपील

समय सीमा में मान्य की गई है और गुणदोष पर आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदकगण को सुनवाई एव पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, परन्तु आवेदकगण द्वारा गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण नहीं होने की दृष्टि से तकनीकी आधार पर अपील निरस्त कराना चाहते है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने अनावेदकपक्ष के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की थी, लेकिन अनावेदकपक्ष को नोटिस की तामीली प्रकरण में संलग्न नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील को समय सीमा में मान्य करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–06–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर